(b) No complaint was lodged by the buyer patient in this connection with the Drug Control Department, Delhi Administration. The case was investigated on the basis of news item. The buyer, however, refused to show the bottle of the drug to the Investigating Officer. The buyer further informed, in writing, that he would take legal action against the manufacture on his own.

Closure of Branch Lines by Railways

3802. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to Unstarred Question 432 given in the Rajya Sabha on 29th July, 1987 and state the details of the seven branch lines closed on the recommendation of rail administration and the reasons for their closure?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): The following seven metre gauge branch lines have been closed:

Sl. No.	Name of the Line	Railway
(i)	Nidamangalam-Mannargudi	Southern
(ii)	Sahebpur-Kamal-Monghyrghat	North Eastern
(iii)	Kunkavav-Derdi	Western
(iv)	Hadmatiya-Jodiya	Western
(v)	Khambaliy -Salaya	Western
(vi)	Than-Chotila	Western
(vii)	Ningala-Gadhadha-Swaminarayan	Western

The lines were closed due to their being uneconomic and adequate road transport facilities being available to meet the requirements of the people of the area.

रेलवे द्वारा कुटुम्ब पेंशन का भुगतान

3803. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियों की विधवा औरतों को कुटुम्ब पेंशन का जो भुगतान किया जा रहा है वह बहुत कम है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी असुविधा हो रही है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो क्या सरकार इन विधवाओं की मासिक कुटुम्ब पेंशन बढ़ाने का विचार रखती है या सरकार को किसी विसंगति का पता चला है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पेंशन न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पेंशनीय रेल कर्मचारी के मामले में परिवार पेंशन उतनी ही है जितनी अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में होती है । 1-1-1986 से परिवार पेंशन के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं :—

(i) न्यूनतम परिवार पेंशन 150/- रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 375/- रुपये प्रतिमास कर दी गयी है ।

(ii) अधिकतम परिवार पेंशन 250/- रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 1250/- रुपये प्रतिमास कर दी गयी है ।

(iii) चूंकि परिवार पेंशन मृत कर्मचारी के वेतन के प्रतिशत के रूप में दी

जाती है, अतः वेतन के संशोधन वेतनमान लागू कर दिये जाने के कारण, जो संशोधन पूर्व के वेतनमानों से काफी ऊंचे हैं, परिवार पेंशन की मात्रा में वृद्धि हुई है ।

(iv) परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत उसी दर पर दी जाती है जिस दर पर सेवारत कर्मचारियों को दी जाती है । इस समय 1-1-1987 से परिवार पेंशन की राशि पर 8 प्रतिशत की दर पर मंहगाई राहत का भुगतान किया जाता है ।

रेल दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरियां

3804. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरी देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की और कौन-कौन सी कल्याण योजनायें हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले अन्य व्यक्तियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि वैध उत्तराधिकारियों को भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान धन के रूप में किया जाता है।

दिल्ली के स्कूलों में विद्युत कनेक्शन

3805. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कुछ स्कूलों में विद्युत कनेक्शन न होने के कारण विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या ऐसे स्कूलों में, जहां विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, तम्बुओं में चल रहे स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों में सामान्यता बिजली का कनेक्शन प्रदान किया जाता है ।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम के कुछ स्कूलों में जो तम्बुओं में चल रहे हैं उनमें बिजली के कनेक्शन प्रदान नहीं किये गये हैं । जैसे ही तम्बूओं के स्थान पर पक्के भवन उपलब्ध हो जाते हैं बिजली के कनेक्शन प्रदान कर दिये जाते हैं ।

गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रहमपुरी, नई दिल्ली के लिये भवन

3806. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालय में एक मामला लंबित होने के कारण गवर्नमेंट सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, ब्रहम-पुरी, दिल्ली-110053 के भवन का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका अथवा उसके भवन के निर्माण के लिए अब तक कोई अनुमति नही दी गई है ;

(ख) क्या न्यायालय में लंबित मामले का शीघ्र निपटान किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है ; और